संख्याः– / XXIX-2 / 2025 / E-81167

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–02 देहरादून, दिनांकः अक्टूबर, 2025

विषयः– जनपद देहरादून की विधानसभा क्षेत्र रायपुर की सरस्वती विहार कालोनी, अधोईवाला रायपुर रोड, देहरादून सीवरेज योजना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–429 / नियोजन अनुभाग / धनावंटन प्रस्ताव / 14, दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून की विधानसभा क्षेत्र रायपुर की सरस्वती विहार कालोनी, अधोईवाला रायपुर रोड, देहरादून सीवरेज योजना की योजना हेतु अनुमोदित लागत ₹ 371.26 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या–I/273660/XXIX-2 / 2025 / E-81167, दिनांक 07.02.2025 के द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त ₹ 148.50 लाख की धनराशि को कम करते हुए अवशेष धनराशि ₹ 222.76 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 148.50 लाख (₹ एक करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों / शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) योजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iv) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(v) उक्तानुसार चालू योजना पर धनावंटन / व्यय करने के निमित्त योजना की स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश संख्या–I/273660/XXIX-2 / 2025 / E-81167, दिनांक 07.02.2025 में निहित अन्य समस्त शर्तों यथालागू का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जल पूर्ति–101–शहरी जल पूर्ति–03–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल / जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण–53–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई०डी० संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1) 2025, दिनांक 31.03.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 28-10-2025
12:49:16

भवदीया,

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्याः– (1)/XXIX-2/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 28-10-2025
14:06:24

(डी०एम०एस० राणा)
संयुक्त सचिव